बारबार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

आरटीआई-आनलाइन

उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार

1. किस लोक प्राधिकरण में मैं एक अनुरोध दायर कर सकता हूं

आवेदक, आरटीआई अधिनियम,2005 के तहत किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए इस पोर्टल के माध्यम से केवल उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों और सार्वजानिक प्राधिकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

2. मैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार प्राप्त करने के लिए अपने आवेदन कैसे लिख सकता हूँ

आवेदन का मूल पाठ, निर्धारित कालम में लिखा जा सकता है। वर्तमान में आवेदन के पाठ केवल फार्म की निर्धारित कॉलम में 500 वर्ण तक ही सीमित है| यदि एक आवेदन पत्र के मूल पाठ (नाम, पता आदि को छोड़कर) में 500 शब्दों से अधिक शब्द हैं तो आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।

3. मैं सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता हूँ

गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के आवेदकों को सूचना का अधिकार नियम के अनुसार, किसी भी शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, आवेदक को आवेदन के साथ बीपीएल प्रमाण पत्र (जो कि समुचित सरकार द्वारा जारी किया गया हो) कि एक प्रति संलग्न करनी होगी ।

गैर बीपीएल आवेदकों के मामले में, पहले पेज भरने के बाद, भुगतान-पेज (जिस पर आवेदक निर्धारित आरटीआई शुल्क के भुगतान के लिए) के बटन “भुगतान करें” पर क्लिक करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। आवेदक **इंटरनेट बैंकिंग** के माध्यम से निर्धारित आरटीआई-शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

4- क्या मुझे आरटीआई आवेदन ऑनलाइन दाखिल करने के लिए, कोई रसीद मिलती है?

एक आरटीआई आवेदन पर एक अद्वितीय पंजीकरण संख्या जारी किया जाएगा, जिसका आवेदक द्वारा भविष्य में किसी भी संदर्भ के लिए उल्लेख किया जा सकता है। यह अद्वितीय संख्या आवेदक को एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी।

आरटीआई-ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दायर आवेदन, संबंधित विभाग /सार्वजनिक प्राधिकरण के नोडल अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पंहुचेगा।

नोडल अधिकारी आरटीआई आवेदन को संबंधित पी० आई० ओ० को इलेक्ट्रॉनिक या कागज़ी प्रति के रूप मे प्रेषित करेगा।

5- मेरे आवेदन का क्या होगा अगर मैं निर्धारित प्रपत्र में एक गलत विभाग और लोक प्राधिकरण का चयन करता हूँ।

यदि आरटीआई आवेदन विभाग/ लोक प्राधिकरण, जिसे आवेदक द्वारा चुना गया है, से संबंधित नहीं है, उस विभाग/लोक प्राधिकरण का "नोडल अधिकारी" आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित विभाग /लोक प्राधिकरण को (सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-6(3) के तहत) स्थानांतरित करेगा।

6- क्या मुझे अतिरिक्त शुल्क (यदि हो तो) का भुगतान करने की आवश्यकता है, तो इसके बारे में सूचित किया जाएगा?

यदि आवेदन संबंधित अतिरिक्त शुल्क यथा-फोटोप्रति या निरीक्षण शुल्क, ज़मा करना हो तो नोडल अधिकारी ऐसे शुल्क के बारे मे आवेदक को सूचित करेगा जो कि आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर " View Status" पर देखा जा सकता है । इस सन्दर्भ मे आवेदक को ई-मेल द्वारा भी सूचित किया जा सकता है । तदुपरांत आवेदक अपने आवेदन की पंजीकरण संख्या देने के उपरांत अतिरिक्त शुल्क ज़मा करा सकते हैं।

7- मैं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के साथ एक अपील कैसे दर्ज करूँ।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने के लिये आवेदक submit .... appeal पर क्लिक करेंगे और उसमे निर्धारित प्रपत्र खुल जायेगा जिसके द्वारा अपीलकर्ता अपनी अपील मूल आवेदन पत्र की पंजीकरण संख्या के सन्दर्भ के साथ भेज सकेगा ।

आरटीआई-ऑनलाइन पर दाखिल की गयी अपील इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वतः ही सम्बंधित नोडल अपीलीय अधिकारी को पंहुच जायगी, तदुपरान्त नोडल अपीलीय अधिकारी प्रथम अपील को सम्बंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी को या तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या कागजी प्रति द्वारा प्रेषित कर देगा।

8-. क्या मुझे एक अपील दाखिल करने के लिए भुगतान करने की जरूरत है।

नहीं।

9- क्या मुझे आरटीआई-ऑनलाइन पोर्टल से एसएमएस मिलता है।

एसएमएस अलर्ट प्राप्त करने के लिए आवेदक / अपीलार्थी द्वारा मोबाइल नंबर दिया जा सकता है।

10- मैं किससे संपर्क करू यदि मुझे पोर्टल से संबंधित कोई जानकारी या सुझाव देने है।

इस पोर्टल से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए सामान्य कार्यालय समय के दौरान (सभी कार्य दिवसों पर 09:30-18:00 बजे) मो०नं० 0522-4069689 संपर्क करें या **onlinertihelpline.up@gov.in** पर ईमेल भेजें।

11-यदि राशि डेबिट की जाती है और पंजीकरण नंबर प्राप्त नहीं होता है।

पंजीकरण संख्या आपको बाद में प्रशासन विभाग द्वारा reconciliation प्रक्रिया के बाद भेजी जाएगी।

12- यदि नागरिक द्वारा आरटीआई अनुरोध भरने के समय संलग्न दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तब नोडल अधिकारी/पीआईओ संबंधित सहायक दस्तावेज के लिए अनुमति देगा, जो की नीचे स्क्रीन के साथ View Status में प्रदर्शित किया जाएगा

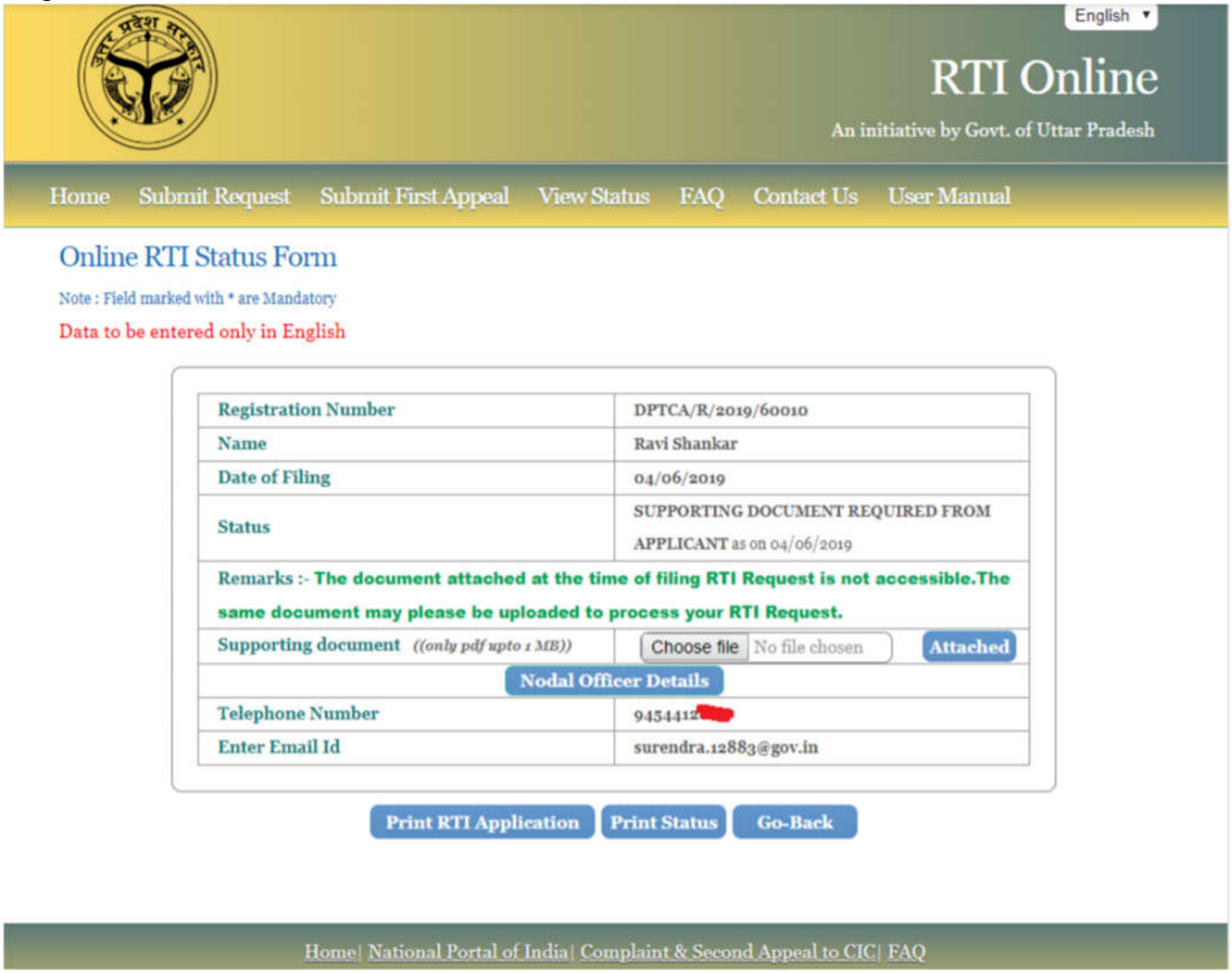

English

RTI Online

An initiative by Govt. of Uttar Pradesh

Home Submit Request Submit First Appeal View Status FAQ Contact Us User Manual

Online RTI Status Form

Note : Field marked with * are Mandatory

Data to be entered only in English

Registration Number	DPTCA/R/2019/60010
Name	Ravi Shankar
Date of Filing	04/06/2019
Status	SUPPORTING DOCUMENT REQUIRED FROM APPLICANT as on 04/06/2019
Remarks :- The document attached at the time of filing RTI Request is not accessible.The same document may please be uploaded to process your RTI Request.	
Supporting document ((only pdf upto 1 MB))	Choose file No file chosen Attached
Nodal Officer Details	
Telephone Number	945441[redacted]
Enter Email Id	surendra.12883@gov.in

Print RTI Application Print Status Go-Back

Home| National Portal of India| Complaint & Second Appeal to CIC| FAQ